राज्य में 4 लाख 45 हजार 897 नागरिकों का ऑनलाईन प्रकृति परीक्षण किया गया

❒ छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन बिहार, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, उत्तराखण्ड जैसे राज्यों से रहा बेहतर

रायपुर | आरएनएस

भारत सरकार आयुष मंत्रालय के तत्वावधान में 29 अक्टूबर 2024 को नवम् राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अभियान का प्रथम चरण संविधान दिवस दिनांक 26 नवम्बर 2024 से पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर 2024 तक संपन्न हुआ। ऑनलाईन अभियान के अंतर्गत मोबाईल एप्लीकेशन के द्वारा देश के एक करोड़ नागरिकों के आयुर्वेदीय सिद्धांत अनुसार प्रकृति (वात-पित्त-कफ) परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। राज्य में 25 दिसंबर 2024 तक आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से जुड़े कुल 3,551 महाविद्यालयीन शिक्षकों, चिकित्सकों, छात्रों, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों तथा निजी चिकित्सकों द्वारा बतौर स्वयंसेवक (वालेंटियर) कुल 4,45,897 नागरिकों का ऑनलाईन प्रकृति परीक्षण किया गया। छत्तीसगढ़ में इस अभियान को काफी अच्छा प्रतिसाद मिला तथा राज्य का प्रदर्शन बिहार, ओड़िशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखण्ड जैसे अनेक राज्यों की तुलना में काफी बेहतर रहा। अभियान के प्रथम चरण का समापन दिनांक 25 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के मुख्य आतिथ्य में जशपुर जिले के कुनकुरी में संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रकृति परीक्षण कार्ड भेंट किया गया। मुख्यमंत्री साय ने उपस्थित जनसमुदाय से आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को अपनाने तथा प्रकृति परीक्षण कराने की अपील की है। अभियान के तहत प्रदेश के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री सहित अन्य सांसद, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधियों सहित आम नागरिकों का प्रकृति परीक्षण किया गया।

देश का प्रकृति परीक्षण अभियान का उद्देश्य आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति के द्वारा जनसामान्य को मोबाईल एप्लीकेशन पर उनके प्रकृति के अनुरूप विभिन्न ऋतुओं में स्वस्थ रहने हेतु आवश्यक आहार, दिनचर्या, ऋतुचर्या, परहेज एवं स्वास्थ्य से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण परामर्श उपलब्ध कराना है। अभियान के अंतर्गत जिन नागरिकों का प्रकृति परीक्षण किया गया है उन्हें डिजिटल प्रकृति परीक्षण कार्ड भी उपलब्ध हुआ है जिससे उन्हें भविष्य में किसी भी आयुर्वेद उपचार के लिए पृथक से प्रकृति परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी। प्रकृति परीक्षण के द्वारा भविष्य में होने वाले अनेक जीवनशैली रोग जैसे मधुमेह, उच्चरक्तचाप, हृदयरोग तथा कैंसर से बचाव व नियंत्रण भी संभव होगा। मोबाईल एप्लीकेशन आधारित नागरिकों का नि:शुल्क प्रकृति परीक्षण भविष्य में भी निरंतर जारी रहेगा, इस हेतु इच्छुक नागरिकों को अपने मोबाईल फोन के प्ले स्टोर से देश का प्रकृति परीक्षण एप्प डाउनलोड कर सिटिजन लॉगिन करना होगा। तदुपरांत वे प्रकृति परीक्षण हेतु निकटस्थ आयुर्वेद महाविद्यालय, चिकित्सालय, जिला आयुर्वेद चिकित्सालय, आयुष विंग, स्पेशलाइज्ड थेरेपी सेंटर, शासकीय आयुर्वेद औषधालयों तथा निजी आयुर्वेद चिकित्सकों से संपर्क कर सकते हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले राजस्थान के 5 आरोपी गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज अमरेश मिश्रा द्वारा रेंज साइबर थाना रायपुर की टीम को तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के संबंध में निर्देशित किया गया है निर्देसानुसार कार्यवाही की जा रही है। प्रार्थी अतुल बंसल ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफा कमाने के नाम से उनसे 77 लाख रुपए की ठगी होने की रिपोर्ट थाना विधानसभा में दर्ज कराई थी, रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 324/23 धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। अपराध की अग्रिम विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। विवेचना क्रम में आरोपियों द्वारा उपयोग किए जा रहे बैंक खातों एवं मोबाइल नंबरों की जानकारी प्राप्त की गई। राजस्थान निवासी आरोपियों द्वारा विभिन्न बैंकों में अलग अलग नाम से खाता खुलवाकर अपने अन्य साथियों की सहायता से उक्त बैंक खातों में प्रार्थी से रकम जमा करवाए गए थे। आरोपियों को दिनांक 6/01/25 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा गया है। **गिरफ्तार आरोपी :-** 1 सुरेश गुर्जर पिता रामकुंवार गुर्जर उम्र 34 वर्ष पता सरसडी थाना केकड़ी, अजमेर राजस्थान 2 अभिषेक जैन पिता धर्मीचंद जैन उम्र 35 वर्ष पता शाहपुरा, भीलवाड़ा राजस्थान 3 ओमप्रकाश सेन पिता कैलाशचंद सेन उम्र 38 वर्ष पता बडग़ांव, भियान, अजमेर राजस्थान 4 सांवरलाल पिता बरदाराम उम्र 38 वर्ष पता सापला केकड़ी, अजमेर राजस्थान 5 बृजेश कुमार पटेल पिता पटेल योगेश भाई उम्र 30 वर्ष वर्तमान पता चंदपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान

पैसे देने से मना किया तो पहुंचाई चोट, हिस्ट्रीशीटर गुंडा गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में हिस्ट्रीशीटर द्वारा अवैध रूप से मांगे जा रहे पैसे को देने से मना करने पर हिस्ट्रीशीटर द्वारा एक युवक से लड़ाई झगड़ा कर मारपीट कर चोट पहुंचा गया है। मामले की शिकायत के बाद आरोपी हिस्ट्रीशीटर अमीन खान एवं उसके साथी नियाज़ खान को गिरफ्तार किया गया। मामला गोलबाजार थानाक्षेत्र का है। मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 06.01.2025 को प्रार्थी दीपक साहू ने थाना गोलबाजार में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 06.01.2025 को अमीन खान तथा नियाज़ खान द्वारा उससे अपने खर्चों के लिए अवैध रूप से पैसे की मांग की जिसपर प्रार्थी द्वारा मना किया गया तो आरोपियों ने उसके साथ अश्लील गली गलौज कर जान से मारने को धमकी देते हुए मारपीट कर चोट पहुंचाया। मामले की रिपोर्ट पर थाना गोलबाजार में धारा 296, 351(3), 115(2), 119(2), 3(5) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया जाकर आरोपियों की पातासजी किया जा रहा था। विवेचना के दौरान दिनांक 06.01.2025 को आरोपी अमीन खान पिता स्व. नजीर खान उम्र 36 साल पता छोटापारा, लूनिया भवन के पास थाना कोतवाली, रायपुर तथा नियाज़ खान पिता अब्दुल वाहिद खान उम्र 25 साल उम्र संजय नगर, गौसिया चौक, मदनी चौक थाना टिकरापारा, रायपुर को गिरफ्तार कर कार्यवाही किया गया। उल्लेखनीय है कि आरोपी अमीन खान थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर गुंडा बदमाश है जिसके विरुद्ध थाना कोतवाली में कुल 15 आपराधिक प्रकरण दर्ज है जिसमें चोरी, चोरी का प्रयास, लूट, धमकी, मारपीट, चाकूबाजी, अवैध शराब बिक्री के अपराध दर्ज हैं।

मुख्यमंत्री साय ने हाईटेक स्टूडियो का किया शुभारंभ

जांजगीर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हाईटेक स्टूडियो का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा, जांजगीर-चांपा जिले के युवाओं, सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स, क्रिएटर्स व गायकों को अपनी रचनात्मकता को आगे लाने का बेहतर मंच उपलब्ध कराने के लिए आज जांजगीर के कचहरी चौक स्थित सी-मार्ट परिसर में हसदेव क्रिएटर्स हब एवं ग्लोबल मंच (हाईटेक स्टूडियो) का शुभारंभ कर युवाओं को समर्पित किया। इस अवसर पर शहर के प्रतिभावान युवा कंटेट क्रिएटर देवांश निषाद ने पॉडकॉस्ट के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लिया और उनके रोचक सवालों के जवाब दिए। शुभारंभ कार्यक्रम में जांजगीर सांसद कमलेश जांगड़े, वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल , सौरभ सिंह सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे।

लीवर के चार टुकड़े, हार्ट भी फटा हुआ, पत्रकार मुकेश की हत्या में क्रूरता की सारे हदें पार

रायपुर | आरएनएस

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या में क्रूरता की सारी हदें पार कर दी गई. मुकेश चंद्राकर के सिर पर चोट के 15 निशान मिले हैं. इसके अलावा लीवर के चार टुकड़े और पांच पसलियों को तोड़ा गया. इतना ही नहीं उसकी गर्दन टूटी और हार्ट फटा हुआ पाया गया है. जिस डॉक्टर ने पत्रकार मुकेश चंद्राकर की बॉडी का पोस्टमार्टम किया, उन्होंने कहा कि मैंने अपने 12 साल के करियर में ऐसा केस नहीं देखा, जिसकी इतनी बेरहमी से हत्या की गई हो. उन्होंने ये भी दावा किया है कि पत्रकार की हत्या करने वाले दो या दो से ज्यादा हमलावर हैं. मुकेश चंद्राकर की हत्या के आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया गया है. एसआईटी ने उसे हैदराबाद से अरेस्ट किया है. बीजापुर के एसपी जितेंद्र सिंह यादव ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार किया गया है. बता दें कि मुकेश चंद्राकर का शव तीन जनवरी को ठेकेदार सुरेश चंद्राकर की प्रॉपर्टी पर स्थित सेप्टिक टैंक से बरामद हुआ था. मुकेश एक जनवरी से लापता थे. पुलिस ने मुकेश की तलाश के लिए सुरेश चंद्राकर के घर पर छापा मारा था. जांच के दौरान वहां सेप्टिक टैंक से एक शव बरामद हुआ. शव की हालत काफी खराब थी, लेकिन कपड़ों से उसकी पहचान पत्रकार मुकेश चंद्राकर के रूप में हुई.

पत्रकार मुकेश चंद्राकर ने ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के करप्शन को उजागर किया था. ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को बस्तर में 120 करोड़ की सडक़ बनाने का ठेका मिला था. पत्रकार मुकेश की हत्या की खबर के बाद ठेकेदार के खिलाफ जांच का आदेश दिया गया था. इसके बाद एक जनवरी से मुकेश चंद्राकर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था. ये भी सामने आया है कि मुकेश को आखिरी बार कॉल ठेकेदार सुरेश चंद्रकार के भाई रितेश ने मुकेश को कॉल किया था. इसके बाद एक जनवरी से ही मुकेश चंद्राकर का फोन स्विच ऑफ आता रहा. दावा है कि टैंक में शव को डालकर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया था, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ।

पत्नी व दो बेटियों के साथ मिलकर की 1.30 करोड़ की ठगी, गिरफ्तार

रायपुर | आरएनएस

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर लाल उम्मेद सिंह के दिशा निर्देशन पर एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम दौलत राम पोर्ते,अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर लखन पटले के मार्गदरशन तथा नगर पुलिस अधीक्षक राजेश देवांगन के पर्यवेक्षण में संपत्ति संबंधी अपराधों पर कार्यवाही हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना पुरानी बस्ती पुलिस के कार्य से दूसरे की जमीन को अपना बताकर बिक्री इकरार नामा तैयार कर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई ! विवरण इस प्रकार है कि= प्रार्थी मयूर निर्मल पिता कृष्ण कुमार निर्मल उम्र 32 वर्ष निवासी झंडा चौक शिव नगर न्यू चांगोरभाठा थाना डीडी नगर जिला रायपुर के द्वारा श्रीमान नगर पुलिस अधीक्षक महोदय पुरानी बस्ती की समक्ष शिकायत प्रस्तुत किया था जिसकी जांच पर अनावेदक आशीष बाजपेयी वगैरह के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध आदेश प्राप्त होने पर थाना पुरानी बस्ती में अपराध क्रमांक 05/2025 धारा 467 468 420 34 भादवि पंजीबद्ध किया गया। दिनांक 13.02.2023 को अनावेदकगण द्वारा भाटा गांव श्यामा प्रसाद मुखर्जी वार्ड क्रमांक 63 में स्थित भू स्वामी रेखा गोयल की भूमि को खरीदने के नाम पर बिक्री इकरारनामा तैयार कर प्रार्थी व अन्य से उक्त भूमि को बिक्री करने के नाम पर बिक्री इकरारनामा तैयार कर विभिन्न दिनांकों में नगद व चेक के माध्यम से कुल 1 करोड़ 30 लख रुपए बयाना प्राप्त कर आवेदकों के पक्ष में रजिस्ट्री नहीं कर धोखाधड़ी किया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने पर दिनांक.05.01.2025 को आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।

शेयर ट्रेडिंग के नाम से ठगी करने वाले राजस्थान के 5 ठग गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी में शेयर ट्रेडिंग में मोटा मुनाफा कमाने को लालच देकर लाखों की ठगी करने के मामले में पुलिस ने राजस्थान के पांच ठगों को गिरफ्तार किया है। उक्त कार्यवाही विधानसभा थाना में दर्ज हुई शिकायत के बाद की गई है। बता दें कि प्रार्थी अतुल बंसल ने शेयर ट्रेडिंग में मुनाफ ा कमाने के नाम से उनसे 77 लाख रुपए की ठगी होने की रिपोर्ट थाना विधानसभा में दर्ज कराई थी, रिपोर्ट पर धारा 420,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा था। अपराध की अग्रिम विवेचना रेंज साइबर थाना रायपुर को सौंपी गई थी। विवेचना क्रम में आरोपियों द्वारा उपयोग किए जा रहे बैंक खातों एवं मोबाइल नंबरों की जानकारी प्राप्त की गई। जांच में सामने आया कि राजस्थान निवासी आरोपियों द्वारा विभिन्न बैंकों में अलग अलग नाम से खाता खुलवाकर अपने अन्य साथियों की सहायता से उक्त बैंक खातों में प्रार्थी से रकम जमा करवाए गए थे। जिसके बाद पुलिस ने कार्यवाही करते हुए राजस्थान के पांच ठग सुरेश गुर्जर पिता रामकुंवार गुर्जर उम्र 34 वर्ष पता सरसडी थाना केकड़ी, अजमेर राजस्थान, अभिषेक जैन पिता धर्मीचंद जैन उम्र 35 वर्ष पता शाहपुरा, भीलवाड़ा राजस्थान, ओमप्रकाश सेन पिता कैलाशचंद सेन उम्र 38 वर्ष पता बडग़ांव, भियान, अजमेर राजस्थान, सांवरलाल पिता बरदाराम उम्र 38 वर्ष पता सापला केकड़ी, अजमेर राजस्थान तथा बृजेश कुमार पटेल पिता पटेल योगेश भाई उम्र 30 वर्ष वर्तमान पता चंदपोल बाजार, जयपुर, राजस्थान को गिरफ्तार कर सोमवार को न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा गया है।

भालू हमले से घायल व्यक्ति के लिए जारी हुई क्षतिपूर्ति राशि

जशपुरनगर | आरएनएस

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की संवेदनशील पहल से दुलदुला विकासखण्ड के पंचायत जामटोली निवासी बालबच्चन सिंह को भालू के हमले में घायल होने पर क्षतिपूर्ति की राशि स्वीकृत की गई है। जानकारी के अनुसार बच्चन सिंह सुबह लगभग 7 बजे गांव में अपने खेत की तरफ जा रहे थे। उस दौरान अचानक जंगली भालू ने उन पर हमला कर दिया गया। इस हमले से उनको गहरी चोटें आई थी।

गंभीर रूप से घायल बालबच्चन सिंह पिता गोवर्धन सिंह का इलाज कुनकुरी के होलीक्रास हॉस्पिटल में चला। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जब अपने गृहग्राम बगिया आए थे। उस दौरान आयोजित जनदर्शन में बच्चन सिंह ने मुख्यमंत्री के सम्मुख इस घटना के बारे बताते हुए इस संबंध में आवेदन देकर क्षतिपूर्ति राशि दिलाने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए वन विभाग को क्षतिपूर्ति राशि दिलाने हेतु निर्देशित किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर वन विभाग के द्वारा बच्चन हेतु क्षतिपूर्ति राशि के तौर पर 2 लाख रूपए की राशि स्वीकृत किया गया है। बच्चन एवं उनके परिवार ने इसके लिए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। मुख्यमंत्री जब भी बगिया आते हैं उस दौरान जनदर्शन में देर रात तक लोगों की समस्याओं को पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनते हैं और इसके निराकरण के लिए तत्काल संबंधित विभाग को निर्देशित भी करते हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री के द्वारा बगिया में स्थापित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में रोजाना आवेदक अपनी मांगों एवं समस्याओं के निराकरण के लिए आते हैं। यहां पर उनकी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर त्वरित गति से निराकरण किया जाता है।

महतारी वंदन योजना से आर्थिक रूप से सशक्त हुई भारती, सुकन्या समृद्धि योजना से बिटिया का भविष्य कर रही सुरक्षित

❒ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में मील का पत्थर साबित होती महतारी वंदन योजना

रायगढ़

आर्थिक सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता किसी भी महिला के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार की महतारी वंदन योजना मील का पत्थर साबित होते हुए महिलाओं के जीवन में ऐसे ही बदलाव लेकर आ रही है। रायगढ़ की भारती खटर्जी इस योजना के माध्यम से अपने जीवन को नए आयाम दिए और आर्थिक आत्मनिर्भरता का नया अध्याय शुरू किया है। आज वह स्वयं आर्थिक रूप से सशक्त तो हुई वही सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लेकर अपनी बिटिया का भविष्य भी सुरक्षित कर रही है।

विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम कापू निवासी भारती खटर्जी कहती है कि वह एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। जहां उनके पति ही परिवार के इकलौते कमाने वाले सदस्य हैं। आर्थिक तंगी के कारण घर की छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी भारती को अपने पति से पैसे मांगने पड़ते थे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में 2024 में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने महतारी वंदन योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के तहत हर महीने 1 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है। माह मार्च 2024 से वर्तमान तक प्रतिमाह एक हजार रूपये डीबीटी के माध्यम से महिलाओं को बैंक खाते में प्राप्त होने लगा।

महतारी वंदन से प्राप्त राशि से अब वह अपनी हर छोटी-छोटी जरूरतों को खुद से पूरा कर लेती है। महतारी वंदन योजना से प्रतिमाह मिलने वाली राशि से भारती खटर्जी आत्म निर्भर होकर अपनी बेटी 7 वर्षीय मानसी खटर्जी का सुकन्या समृद्धि योजना में खाता पोस्ट आफिस में खुलवाया है। जिसमें प्रतिमाह 250 रूपये जमा करती है जो कि भविष्य में उनकी बेटी के अच्छे शिक्षा में काम आयेंगे। भारती खटर्जी ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का धन्यवाद देती हुए कहा कि योजना से लाभान्वित होकर उनके जैसे अन्य महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली है। जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार आया है और आत्म निर्भर होकर खुशहाल जीवन व्यतीत कर रही हैं।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितो को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी राकुन्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यका, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तो का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवे पर्यावारण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश मे महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित कराएगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

मंदिरों से मूर्ति चोरी करने वाला आरोपी सुरेन्द्र कुर्रे गिरफ्तार

❒ थाना अभनपुर एवं विधानसभा क्षेत्र के अलग - अलग मंदिरों में दिये थे मूर्ति चोरी की घटनाओं को अंजाम

रायपुर | आरएनएस

प्रार्थी लाला राम साहू ने थाना अभनपुर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम बिरोदा में रहता है तथा बिरोदा मोड पानी टंकी के पास स्थित हनुमान मंदिर में प्रार्थी सहित गांव के अन्य लोगों द्वारा सुबह शाम आरती पूजा-पाठ किया जाता है। दिनांक 03.12.2024 की रात्रि 08.00 बजे से 10.00 बजे के मध्य कोलर निवासी अज्जू साहू ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि बिरोदा मोड के पास हनुमान मंदिर में हनुमान जी का मूर्ति नहीं है, तब प्रार्थी, सरपंच एवं अन्य ग्रामवासी जाकर देखें तो हनुमान मंदिर में हनुमान जी का मूर्ति नहीं था। कोई अज्ञात चोर हनुमान जी का मर्ति व उसमें लगा चांदी का आंख को चोरी कर ले गया, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना अभनपुर में अपराध क्रमांक 431/24 धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया। घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक नवा रायपुर कर्ण कुमार उके, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी अभनपुर को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना अभनपुर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य ग्राम वासियों से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मुखबीर लगाकर भी अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा अज्ञात आरोपी की पहचान टिकरापारा निवासी सुरेन्द्र कुर्रे के रूप में करते हुये उसकी पतासाजी कर पकड़ा गया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी सुरेन्द्र कुर्रे द्वारा अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर मंदिरों से मूर्ति चोरी की घटनाओं को अंजाम देना बताया गया। मूर्ति चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में पूछताछ करने पर आरोपी द्वारा थाना विधानसभा क्षेत्रांतर्गत ग्राम पिरदा के शीतला तालाब पार एवं नरैया तालाब पास स्थित शिव मंदिरों से शिवलिंग चोरी करना बताया गया। विधानसभा क्षेत्र से चोरी किये गये शिवलिंग में आरोपियों के विरूद्ध थाना विधानसभा में अपराध क्रमांक 550/24 एवं 746/24 धारा 298, 303(2) बी.एन.एस. का अपराध दर्ज है। आरोपी सुरेन्द्र कुर्रे को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से चोरी की 01 हनुमान जी का तथा 02 नग शिवलिंग जप्त कर आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया। प्रकरण में संलिप्त एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी पतासाजी कर गिरफ्तार करने के हर संभव प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार आरोपी - सुरेन्द्र कुर्रे पिता रामू कुर्रे उम्र 27 वर्ष देवपुरी सतनाम चौक थाना टिकरापारा रायपुर।